



वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मिसल बाद दर्ज रजिस्टर होकर एवं नोटिस जारी होकर दिनांक 31-5-18 को पेश हो।

नोटिसपत्र  
1881-94  
20-4-18

पीयूष समारिया  
उपखण्ड अधि एवं सहायक कलक्टर  
ब्यावर

31-5-18

पक्षकारान उप./अनु./वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप./अनु./ पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान को समझाईश की गई, परन्तु राजीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली संबंधित न्यायालय में वापस लौटाई जाकर दिनांक 6-7-18 को पेश हो।

roy

08-8-18.

उपखण्ड अधि एवं सहायक कलक्टर  
ब्यावर

प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा मूल वाद में वास्तु तालव मिसल करने का उस्तुत करने पर मूल वाद के साथ यह पत्रावली तालव की गई। प्रार्थीगण ने प्रा.पत्र अन्तर्गत कोर्टा 23 नियम। जा. प्री. सपडित धारा 151 जा. प्री. उस्तुत कर कथन किए कि प्रार्थीगण प्रा.पत्र पर भागे कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा प्रा.पत्र विद्दी करना चाहते हैं। उपस्थित प्रार्थीगण को प्रा.पत्र पढ़कर सुनाया व समझाया गया। बाद समझने, प्रार्थना-पत्र विद्दी किया जाता स्वीकार किया। उक्त आशय के ह्साकार प्रार्थीगण से करवाए गए जिनकी पहचान उनके अधिवक्तागण ने उंकित की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार प्रेष्य होने से स्वीकार किया जाता है। मिसल मिसल सुमार हो।

रमजानी  
बं रगत

ह. सि. राजिया

41 रजानी

सि 3 3 danti

Q. P. n. n.

3/8/18

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर, ब्यावर